न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 26/2023

1. विजय सिंह पुत्र सीताराम
2. वासदेव पुत्र सीताराम
3. राजवीर पुत्र सीताराम
4. गंगाराम पुत्र सीताराम
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सीताराम
6. जमुना पुत्री सीताराम

समस्त जातिगण गडरिया निवासीगण ग्राम दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर

....वादीगण

बनाम

1. सीताराम पुत्र रामस्वरूप । समस्त जातिगण गडरिया निवासीगण ग्राम दुबाटी तहसील
2. मुन्नालाल पुत्र रामस्वरूप। मनियां जिला धौलपुर
3. झनको पुत्री रामस्वरूप पत्नी चोबसिंह जाति गडरिया निवासी बसई नबाब तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
4. पूरन पुत्र भीखाराम । समस्त जातिगण गडरिया निवासीगण ग्राम दुबाटी तहसील
5. साधू पुत्र भीखाराम । मनियां जिला धौलपुर
6. रामप्रकाश पुत्र भीखाराम।
7. गुड्डी पुत्री भीखाराम पत्नी विजयसिंह जाति गडरिया निवासी ग्राम भाकर तहसील खेरागढ़ जिला आगरा यू0पी0
8. मीरादेवी उर्फ मुलुआ पुत्री भीखाराम पत्नी रघुवीर जाति गडरिया निवासी ग्राम भाकर तहसील खेरागढ़ जिला आगरा यूपी
9. रामप्रकाश पुत्र ब्रह्मा। समस्त जातिगण गडरिया निवासीगण ग्राम दुबाटी तहसील
10. केशव पुत्र शोभाराम । मनियां जिला धौलपुर
11. रामनाथ पुत्र शोभाराम।
12. भूरीसिंह पुत्र शोभाराम।
13. गोलो पुत्री शोभाराम पत्नी सेठा जाति गडरिया निवासी हाल दू का पुरा रेलवे पुलिया के पास धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर राज0
14. राजाबेटी पुत्री शोभाराम पत्नी महावीर जाति गडरिया निवासी ग्राम कंचनपुरा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर राज0
15. हरिप्यारी पत्नी शोभाराम जाति गडरिया निवासी ग्राम दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर राज0
16. छीतो उर्फ छीतरिया पुत्र अतरसिंह । समस्त जातिगण गडरिया निवासी तहसील
17. रामदास पुत्र मुरली । मनियां जिला धौलपुर
18. मुकेश पुत्र मुरली ।
19. रेवती पुत्री ब्रह्मा पत्नी नत्थी जाति गडरिया निवासी ग्राम नन्दा का पुरा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर
20. नरपति सिंह पुत्र निनुआ जाति गडरिया निवासी कंचनपुरा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर
21. रामवती पत्नी भीखाराम जाति गडरिया निवासी दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर

.....प्रतिवादीगण

22. तहसीलदार साहब तहसील मनियां वहैसियत लैण्ड होल्डर
23. उपपंजीयक महोदय मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर .....तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा हस्व दफा 88, 188, आरटीए।

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 (ए)(डी) सीपीसी सपठित

सहायक कलक्टर मु0पु0
धौलपुर (राज0)

आदेश धारा 11 जा0दी0 व 151 सीपीसी

निर्णय दिनांक 21.10.2024

प्रतिवादी संख्या 9, 11, 13 लगायत 17 व 19 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11(ए)(डी) एवं सपठित धारा 11 जा0दी0 व 151 सीपीसी इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 209, 217, 218, 256, 257, 280, 282, 287, 290, 246, 254, बाकै ग्राम दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर के बाबत् वादीगण के पिता श्री सीताराम ने एक राजस्व वाद संख्या 52/2022 उनवानी सीताराम बनाम राममोपाल बगैरा न्यायालय में अधीन धारा 53, 88, 188 आरटीए के तहत पेश किया है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। राजस्व वाद संख्या 52/2022 उनवानी सीताराम बनाम राममोपाल बगैरा में विवादित आराजी के लम्बित रहते सीताराम के पुत्रगण ने बतौर वादीगण ने हाजा प्रकरण न्यायालय में पेश किया है, हाजा प्रकरण में भी आराजी खसरा नम्बर 209, 217, 218, 256, 257, 280, 282, 287, 290, 246, 254 बाकै ग्राम दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर विवादित है, दोनों वादपत्र में वादग्रस्त आराजी में पक्षकार एक समान है जो कि एक साथ विचारणीय नही है। वर्तमान में वादीगण का कोई हक व अधिकार विवादित आराजी के बाबत् प्राप्त नहीं होता है वादीगण न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद संख्या 52/2022 उनवानी सीताराम बनाम राममोपाल में पक्षकार प्रकरण बनाये जाने हेतु आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। वादीगण के पिता सीताराम द्वारा प्रकरण संख्या 52/2022 में उक्त वाद के प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 के पूर्वज स्व0 श्री ब्रह्मा का 1/2 भाग हिस्सा स्वीकार किया है जो कि स्वीकृत तथ्य है, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत अन्य कथन करने से स्टोप्ड है, और विवादित आराजी के बाबत् सीताराम के वारिसान विजयसिंह बगैरा ने दूसरा राजस्व वाद न्यायालय में पेश किया है जिसमें दोनों राजस्व वाद पत्रों में विवादित आराजी व पक्षकार एवं अनुतोष एक समान होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने साजिसन न्यायालय को गुमराह करने की नीयत तथा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पूर्व से ही निर्णीत किये जा चुके आराजी खसरा नम्बर 207 व 208 के बाबत राजस्व वाद उनवानी सुरेश बनाम रामस्वरूप बगैरा में 1991 में माननीय न्यायालय श्रीमान् सहायक कलक्टर धौलपुर में अधीन धारा 88, 188 आरटीए के तहत निर्णय व डिक्री पारित की गई है उससे बाध्य है तथा वादीगण के पूर्वज रामस्वरूप एवं सुरेश ने आपस में साजिस करके पेश किया था। जिसे कि न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 01.08.1991 को एक पक्षीय रूप से डिक्री कर दिया था। राजस्व वाद संख्या 52/2022 में प्रतिवादी संख्या 13 रामवती पत्नी स्व0 भीखाराम ने दिनांक 10.01.2023 को अपना जबाब दावा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के विरूद्ध काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करके अनुतोष चाहा कि जिसमें हाल आराजी खसरा नम्बर 207 जिसका गत खसरा नम्बर 70/1 व खसरा नम्बर 208 जिसका गत खसरा नम्बर 70/4 है। जिसे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के पूर्व पुरूष ब्रह्मा पुत्र मवासिया ने दिनांक 25.07.1962 को मुवलिक 800/–रूपये में बद्रीप्रसाद पुत्र गणेशीलाल जाति वैश्य निवासी ग्राम मनियां जिला धौलपुर को विक्रय किया था, जिसे कि प्रतिवादीगण के पूर्वज ब्रह्मा से सन् 1964 में ही विक्रय राशि 800/– रूपये को बद्रीप्रसाद ने वापिस कर लिया, जिसका अंकन असल बयनामा की बैक पर अंकित है। बद्रीप्रसाद के वारिसान सुरेशचन्द्र द्वारा उक्त आराजी खसरा नम्बर 207 व 208 का दिनांक 09.08.1991 को बिल एवज 49000/–रूपये में भीखाराम, सीताराम, मुन्नालाल पुत्रगण रामस्वरूप के पक्ष में किया गया। जिसे कि उक्त वादपत्र में शामिल नहीं किया गया हैं और उक्त आराजी का भी बंटवारा किये जाने का अनुतोष चाहते हुए काउण्टर क्लैम पेश किया है। प्रकरण संख्या 52/2022 में प्रतिवादी संख्या 13 ने दोनों वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 207, 208 बाकै ग्राम दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर के बाबत् बंटवारे का अनुतोष चाहा है एवं हाजा प्रकरण में भी वादीगण द्वारा 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कराने

सहायक कलक्टर धौलपुर
धौलपुर (राज0)

का अनुतोष चाहा गया है, किन्तु आराजी खसरा नम्बर 207, 208 के बाबत पूर्व में ही वादीगण व प्रतिवादीगण सीताराम, मुन्नालाल व स्व0 भीखाराम एवं सुरेश ने एक राजस्व वाद उनवानी सुरेश बनाम रामस्वरूप वगैरा सन 1991 में माननीय न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर धौलपुर द्वारा आपस में सांठगांठ करके सुरेश ने अपने पक्ष में एकपक्षीय रूप से निर्णय व डिक्री करा लिया था। आराजी खसरा नम्बर 207 व 208 के क्रेता सुरेश ने उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.1991 के आधार पर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंतिम नामांतकरण संख्या 519 व दिनांक 07.08.1991 को बतौर खातेदार अंकित करा लिया। और इसके 2 दिवस बाद ही उक्त आराजी को प्रतिवादी रामवती के पति स्व0 भीखाराम, सीताराम, मुन्नालाल पुत्रगण रामस्वरूप को विक्रय कर दिया था। प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री शोभाराम को उक्त जाली फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 25.07.1962 के आधार पर किये गये निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.1991 के विरूद्ध एक राजस्व अपील संख्या 629/1991 माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में पेश की थी जिस कि माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 09.12.1993 को अपीलार्थीगण की अपील संख्या 629/1991 को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.1991 को निरस्त कर दिया और सुरेश के पक्ष में किये विक्रय पत्र दिनांक 25.07.1962 को प्रारम्भ से जाली व फर्जी व प्रभावहीन मान लिया। सुरेश उक्त अपील में किये निर्णय दिनांक 09.12.1993 के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में राजस्व अपील संख्या 09/1994/एडी/धौलपुर प्रस्तुत की थी। जिसे माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.10.1997 को निरस्त कर दिया था, और न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 09.12.1993 की प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष स्व0 शोभाराम के पक्ष में पुष्टि कर दी गई। इस पर वर्तमान वाद के पक्षकार सीताराम, मुन्नालाल तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 के पूर्वज स्व0 भीखाराम एवं सुरेश को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर राजस्व अपील संख्या 09/1994/एडी/धौलपुर के निर्णय दिनांक 13.10.1997 के विरूद्ध एक सिविल रिट पिटीसन संख्या 3885/1999 उनवानी सुरेश व अन्य बनाम बोर्ड आफ रेवन्यू के विरूद्ध उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 14.07.2023 को खारिज कर दिया है, जिसकी हाजा वाद में वादीगण एवं राजस्व वाद संख्या 52/2022 के वादीगण को पूर्ण जानकारी व ज्ञान है। जिसे सभी न्यायालय ने पूर्णतः व अन्तिम रूप से निस्तारित किया जा चुका है, फिर भी दोनों वाद पत्र के पक्षकार विजयसिंह, वासदेव, राजवीर, गंगाराम, सुरेन्द्र सिंह, जमुना पिसरान स्व0 सीताराम एवं सीताराम मुन्नालाल, ज्ञानो, पुरनसिंह, साधु, रामप्रकाश, गुड्डी पिसरान स्व0 भीखाराम ने पूर्व में हुए निर्णय व डिक्री के तथ्यों को छुपाकर आराजी खसरा नम्बर 207, 208 के बाबत फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 25.07.1962 के आधार पर दोनों वाद में घोषणा बंटवारा का अनुतोष चाहते हुए पेश किये गये है, जिससे ना तो वादीगण कोई वाद कारण प्राप्त होता है, तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के " रेस ज्यूडीकेटा " के प्रावधान लागू होने से विधि विरूद्ध है तथा विधि द्वारा वर्जित है जो कि इसी स्तर पर भारी खर्च सहित खारिज किये जाने योग्य है। इस न्यायालय ने पूर्व में ही विवादित आराजी खसरा नम्बर 207 व 208 के बाबत निर्णय दिनांक 01.08.1991 को उनवानी सुरेश बनाम रामस्वरूप में 88, 188 आरटीए के प्रश्न प्रत्यक्ष एवं सारवान रूप से अन्तर्ग्रस्त था, जिसे राजस्व अपील संख्या 629/1991 हेतु माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर तथा राजस्व अपील संख्या 09/1994/एडी/धौलपुर द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर एवं सिविल रिट पिटीसन संख्या 3885/1999 उनवानी सुरेश व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू माननीय राजस्थान को माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा पूर्णतः निर्णीत किया जा चुका है, जिसे कि माननीय न्यायालय श्रीमान द्वारा विनिश्चय नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार वादपत्र आराजी खसरा नम्बर 207, 208 वाके ग्राम दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर के बाबत चाहे गये अनुतोष विधि द्वारा

सहायक कलक्टर प्रथम
धौलपुर (राज०)

वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 207, 208 बाकै ग्राम दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर के बाबत् दावा वादीगण "विधि द्वारा वर्जित" व "रेस ज्यूडिकेटा" के प्रावधान लागू होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किये जाने एवं दावा वादीगण मय हर्जा व खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र का जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र गलत है स्वीकार नहीं है आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कवर नहीं होती है आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में मात्र यह देखा जायेगा कि दावा किस कानून के तहत वार्ड है तथ्य के प्रश्न को हल नहीं किया जावेगा। तथ्यात्मक प्रश्न साक्ष्य से तय किये जायेगें। हर व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु स्वतंत्र है वह अलग से अपना वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है किसी भी व्यक्ति को पूर्व से चल रहे वाद में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। तथ्यात्क प्रश्न जिसे प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत तय नहीं किया जावेगा। इस समस्त तथ्यों को बाद में लिखित में जवाबदावा प्रस्तुत कर साक्ष्य से सिद्ध किया जावेगा। धारा 11 सीपीसी के प्रावधान को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत तय नहीं किया जा सकता है धारा 11 सीपीसी के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है। जिसे तथ्यात्मक के विचारण में ही देखा जा सकता है। तथ्य कौन सी विधि से वर्जित है यह प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में नहीं लिखा है, प्रतिवादी अगर यह बताना चाहता है तो उसे समग्र तथ्यों को अपने जबाबदावा में लिखना होगा और उस पर तनकी बनाकर साक्ष्य से सिद्ध करना होगा। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह तय नहीं किया जावेगा। प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्ध पेश किया है, मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के लिखित अभिवचनों को दोहराते हुए, कथन किया कि, न्यायालय में एक प्रकरण सीताराम बनाम रामगोपाल प्रकरण संख्या 52/2022 विचाराधीन है, हाजा प्रकरण के वादीगण प्रकरण संख्या 52/2022 के वादी संख्या 1 के पुत्रगण है। न्यायालय को गुमराह करने व तथ्यों को छुपाते हुए हाजा प्रकरण प्रस्तुत किया है। वास्तविक तथ्य यह है कि वादीगण के पिता सीताराम द्वारा प्रकरण संख्या 52/2022 में उक्त वाद के प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 के पूर्वज स्व0 श्री ब्रह्मा का 1/2 भाग हिस्सा स्वीकार किया है जो कि स्वीकृत तथ्य है, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत अन्य कथन करने से स्टोप्ड है। वादी स्वीकृतियों से बाहर नहीं जा सकता और आगे न्यायनिर्णयन करना आवश्यक नहीं है, 2017 (1) डीएनजे राज. पेज संख्या 1। वादीगण ने साजिसन न्यायालय को गुमराह करने की नीयत तथा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पूर्व से ही निर्णीत किये जा चुके आराजी खसरा नम्बर 207 जिसका गत खसरा नम्बर 70/1 व 208 जिसका गत खसरा नम्बर 70/4 है के बाबत पुनः दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष ब्रह्मा पुत्र मवासिया ने दिनांक 25.07.1962 को मुबलिक 800/-रूपये में बद्रीप्रसाद पुत्र गणेशीलाल जाति वैश्य निवासी ग्राम मनियां जिला धौलपुर को विक्रय किया था, जिसे कि प्रतिवादीगण के पूर्वज ब्रह्मा ने सन् 1964 में ही विक्रय राशि 800/- रूपये को बद्रीप्रसाद से वापिस कर लिया, जिसका अंकन असल वयनामा की बैक पर अंकित है। किन्तु आराजी खसरा नम्बर 207, 208 के बाबत् पूर्व में ही वादीगण व प्रतिवादीगण सीताराम, मुन्नालाल व स्व0 भीखाराम के पूर्व पुरूष रामस्वरूप एवं सुरेश ने एक राजस्व वाद उनवानी सुरेश बनाम रामस्वरूप वगैरा में 1991 में माननीय न्यायालय श्रीमान् सहायक कलक्टर धौलपुर में अधीन धारा 88, 188 आरटीए के तहत वादीगण के पूर्वज रामस्वरूप एवं सुरेश ने आपस में साजिस करके पेश किया था। राजस्व वाद उनवानी सुरेश बनाम रामस्वरूप बगैरा सन् 1991 में माननीय न्यायालय श्रीमान् सहायक कलक्टर धौलपुर द्वारा आपस में साठगांठ करके सुरेश ने अपने पक्ष में

एकपक्षीय रूप से निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.1991 करा लिया था। आराजी खसरा नम्बर 207 व 208 के केता सुरेश ने उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.1991 के आधार पर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में जरिये नामांतकरण संख्या 519 व दिनांक 07.08.1991 को बतौर खातेदार अर्जित करा लिया। और इसके 2 दिवस बाद ही उक्त आराजी को प्रतिवादी रामवती के पति स्व0 भीखाराम, सीताराम, मुन्नालाल पुत्रगण रामस्वरूप को विक्रय कर दिया था। प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री शोभाराम को उक्त जाली फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 25.07.1962 के आधार पर किये गये निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.1991 के विरूद्ध एक राजस्व अपील संख्या 629/1991 माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में पेश की थी जिसे कि माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 09.12.1993 को अपीलार्थीगण की अपील संख्या 629/1991 को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् सहायक कलक्टर के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.1991 को निरस्त कर दिया और सुरेश के पक्ष में किये विक्रय पत्र दिनांक 25.07.1962 को प्रारम्भ से जाली व फर्जी व प्रभावहीन मान लिया। सुरेश उक्त अपील में किये निर्णय दिनांक 09.12.1993 के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में राजस्व अपील संख्या 09/1994/एडी/धौलपुर प्रस्तुत की थी। जिसे माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.10.1997 में अपील को निरस्त कर दिया था और न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 09.12.1993 की प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष स्व0 शोभाराम के पक्ष में पुष्टि कर दी गई। इस पर वर्तमान वाद के पक्षकार सीताराम, मुन्नालाल तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 के पूर्वज स्व0 भीखाराम एवं सुरेश को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर राजस्व अपील संख्या 09/1994/एडी/धौलपुर के निर्णय दिनांक 13.10.1997 के विरूद्ध एक सिविल रिट पिटीसन संख्या 3885/1999 उनवानी सुरेश व अन्य बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू के विरूद्ध उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.07.2023 सिविल रिट पिटीसन को खारिज कर दिया है, जिसकी हाजा वाद में वादीगण एवं राजस्व वाद संख्या 52/2022 के वादीगण को पूर्ण जानकारी व ज्ञान है। विवादित आराजी 207, 208 के संबंध में जिस प्रश्न/ बिन्दू का सभी न्यायालय ने पूर्णतः व अन्तिम रूप से निस्तारित किया जा चुका है, फिर भी दोनों वाद पत्र के पक्षकार विजयसिंह, वासदेव, राजवीर, गंगाराम, सुरेन्द्र सिंह, जमुना पिसरान स्व0 सीताराम एवं सीताराम मुन्नालाल, झनको, पूरनसिंह, साधू, रामप्रकाश, गुड्डी पिसरान स्व0 भीखाराम ने पूर्व में हुए निर्णय व डिक्री के तथ्यों को छुपाकर आराजी खसरा नम्बर 207, 208 के बाबत् फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 25.07.1962 के आधार पर दोनों वाद में घोषणा बंटवारा का अनुतोष चाहते हुए पेश किये गये है, जिससे ना तो वादीगण कोई वाद कारण प्राप्त होता है, तथा सिविल प्रक्रिया सहिंता 1908 की धारा 11 के "रेस ज्यूडीकेटा" के प्रावधान लागू होने से विधि विरूद्ध है तथा विधि द्वारा वर्जित है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 207 व 208 के बाबत् इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.08.1991 उनवानी सुरेश बनाम रामस्वरूप में 88, 188 आरटीए के प्रश्न पूर्व में ही निस्तारित किया जा चुका है। जिसे राजस्व अपील संख्या 629/1991 हेतु माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर तथा राजस्व अपील संख्या 09/1994/एडी/धौलपुर द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर एवं सिविल रिट पिटीसन संख्या 3885/1999 उनवानी सुरेश व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माननीय राजस्थान को माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा पूर्णतः निर्णीत किया जा चुका है, और इस न्यायालय द्वारा विनिश्चय नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में उच्च न्यायालय जयपुर राजस्थान की कानूनी नजीर खण्डपीठ के निर्णय के बाद वाद पेश करने हेतु हकदार नहीं है, 2017 (1) डीएनजे (राज.) पेज संख्या 508 पेश की। राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान की कानूनी नजीर कि कुछ अधिक पक्षकार अथवा धारायें जोड़ने से विषयवस्तु परिवर्तित नहीं होती, दावा रेसज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज किया गया 2019 (2) आरआरटी पेज संख्या 1321। लम्बित

सहायक कलक्टर भरतपुर कैम्प
धौलपुर (राज०)

तथा पूर्व निर्णीत वाद में विवादित बिन्दू समान है, तो पूर्व निर्णय अन्तिम हुआ और रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होगा 2017 (2) आरआरटी पेज संख्या 1154। विवादित आराजी खसरा नम्बर 207, 208 बाकै ग्राम दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर के बावत् दावा वादीगण "विधि द्वारा वर्जित" व "रेस ज्यूडिकेटा" के प्रावधान लागू होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किये जाने एवं दावा वादीगण मय हर्जा व खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण ने कथन किया कि, विजयसिंह अपने पिता सीताराम के विरूद्ध अपने हक के लिए दावा कर सकता है। वह अलग से अपना वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है किसी भी व्यक्ति को पूर्व से चल रहे वाद में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। तथ्यात्क प्रश्नों को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत तय नहीं किया जावेगा। यह एक कानूनी बिन्दू है, साक्ष्य के आधार पर यह तय होगा। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों में इसे निस्तारित नहीं किया, प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत कोर्ट कोई भी साक्ष्य नहीं देखेगी। केवल वादपत्र के कथनों के आधार पर यह देखेगी कि दावा वार्ड वाई लॉ है कि, नहीं। प्रारम्भिक स्तर पर स्वत्व घोषणा का दावा खारिज नहीं किया जा सकता है, 2019 (1) आरआरटी पेज संख्या 116। वादपत्र में किये प्रकथनों को ही न्यायालय को देखना है, ना कि साक्ष्य देखने है 2017 (1) डीएनजे (राज.) पेज संख्या 136। प्रारम्भिक स्तर पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है तथा आगे अनुसन्धान बाधित नहीं है, 2017 (1) डीएनजे राज0 पेज संख्या 351। प्रतिवादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों को नहीं देखा जा सकता उठाये गये एतराज तथ्य व विधि के मिश्रित प्रश्न है, तथा तनकियां विरचित करने व साक्ष्य लेखबद्ध करने के बाद निर्णीत किये जा सकते है, 2016–17 (सुप्रीम) आरआरटी पेज संख्या 614। लिखित बयान या किसी आवेदन में उपलब्ध बचाव या दी गई दलील प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आधार पर निस्तारण करने का आधार नहीं हो सकती 2018 डीएनजे (एससी) पेज संख्या 470। रेसज्यूडिकेटा का प्रश्न तथ्यों एवं विधि मिश्रित प्रश्न है और साक्ष्य लेखबद्ध किये बिना निर्णीत नहीं किया जा सकता, केवल वाद पत्र में कथित तथ्यों पर ही वादपत्र खारिज करने हेतु विचार किया जा सकता है 2014 (1) आरआरटी पेज संख्या 201। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के स्तर पर लिखित बयान में या वादपत्र को अस्वीकार करने के आवेदन में प्रतिवादियों का रूख पूरी तरह से अप्रासांगिक है 2015 डीएनजे (एससी) पेज संख्या 242। वाद पत्र के अलावा और कोई सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता 2021(2) आरआरटी पेज संख्या 1480। धारा 11 सीपीसी के प्रावधान को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत तय नहीं किया जा सकता है धारा 11 सीपीसी के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है। जिसे तथ्यात्मक के विचारण में ही देखा जा सकता है। तथ्य कौन सी विधि से वर्जित है यह प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में नहीं लिखा है, प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्ध पेश किया है, मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया, पत्रावली, प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत कानूनी नजीरों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है, कि वाद पत्र में मद संख्या 1 के खण्ड अ व ब में वर्णित विवादित आराजी के बाबत् न्यायालय में एक वाद पूर्व से चल रहा है, जिसका प्रकरण संख्या 52/2022 है, एवं खण्ड स में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 207, 208 बाकै ग्राम दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर के बाबत् पूर्व में न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर में एक दावा उनवानी सुरेश बनाम रामस्वरूप बगैरा सन् 1991 में चला था। जो दिनांक 01.08.1991 को एकपक्षीय रूप से डिक्री किया गया, उक्त प्रकरण के विरूद्ध माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर ने आदेश दिनांक 09.12.1993 से विक्रय पत्र दिनांक 25.07.1962 को प्रभावहीन मानते हुए, न्यायालय

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

धौलपुर (राज0)

सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर का निर्णय अपास्त कर दिया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर ने अपीलीय न्यायालय का फैसले की पुष्टि की। हाजा प्रकरण पुनः उसी आधार पर प्रस्तुत किया है, इसलिए रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है।

(राज0)

वकील वादीगण का कथन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में केवल वादपत्र के कथनों के आधार पर यह तय किया जावेगा कि दावा विधि द्वारा बाधित है या नहीं ना कि साक्ष्यों का पढ़ा जावेगा। स्वत्व का वाद कभी भी प्रारम्भिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए मूलवाद का निस्तारण जबाबदावा लिया जाकर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के मद संख्या 1 के खण्ड स में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 207 व 208 बाकै ग्राम दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर के बाबत् न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर में पूर्व वाद उनवानी सुरेशचन्द बनाम रामस्वरूप निर्णय दिनांक 01.08.1991 में वयनामा दिनांक 25.07.1962 के प्रश्न का निर्णय किया जा चुका है, अपीलीय न्यायालयों में भी उक्त प्रश्न पर विचारण किया जाकर निर्णय सुनाये जा चुके है। वादीगण ने मूलवाद के मद संख्या 8 में विक्रय पत्र दिनांक 25.07.1962 के आधार पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 207, 208 बाकै ग्राम दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर के 1/3 भाग का खुद को खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु निवेदन किया है। उक्त स्थिति में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वादीगण का दावा विधि द्वारा स्पष्टतया वर्जित है। वादीगण पूर्ववर्ती वाद में पक्षकार नहीं थे, लेकिन जिस विक्रय पत्र दिनांक 25.07.1962 के आधार पर उनके पूर्व पुरूषों के अधिकारों का निर्णय किया जा चुका हो, उसी विक्रय पत्र दिनांक 25.07.1962 के आधार पर पुनः वादीगण को स्वत्व की घोषणा नहीं की जा सकती है। जिस प्रश्न या आधार का निर्णय किया जा चुका हो न्यायालय पुनः उसी प्रश्न और आधार पर विचारण नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन मूलवाद रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है। वादीगण दावा तथ्यों को छिपाते हुए, लाये है। इसलिए दावा वादीगण विधि द्वारा वर्जित एवं रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना एवं दावा वादीगण खारिज किया जाना न्यायालय उचित समझती है।

अतः आदेश है, कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने एवं रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 209, 217, 218, 256, 257, 280, 282, 287, 290, 246, 254, बाकै ग्राम दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर पर अपने अधिकारों को घोषित करवाने के लिए पुनः वाद लाने हेतु स्वतंत्र है। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर (राज0)